रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02092025-265888
CG-DL-W-02092025-265888

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, अगस्त 10—अगस्त 16, 2025, शनिवार/ श्रावण 19—श्रावण 25, 1947
No. 28] NEW DELHI, AUGUST 10— AUGUST 16, 2025, SATURDAY/SHRAVANA 19— SHRAVANA 25, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

सा.का.नि. 128.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स (समूह 'ग' के योधक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) के पद से है, और असम राइफल्स (समूह 'ख' योधक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) के पद से हैं, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, असम राइफल्स में सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम 2025 है।

	recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum five years of post-degree experience in an institute recognised by the government; or (c) two years post graduate diploma course in radiation therapy technology based on the minimum course content prescribed by the competent authority from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum three years of post-diploma experience in an institute recognised by the government; or (d) Masters of Science in radiation therapy technology, based on the minimum course content prescribed by the competent authority from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum three years of post Masters of Science experience in a recognised institute. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date or receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotional committee (for considering promotion) consisting of: Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital – Chairperson; 2. Head of the Radiotherapy Department, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital - Member; 3. Deputy Director (Concerned) Directorate General of Health Services - Member; 4. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital - Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/05/2022-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उप मुख्य भौतिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उप मुख्य भौतिक चिकित्सक, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.–** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप मुख्य भौतिक चिकित्सक	03* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा; यदि विफल रही, तो प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 (रुपये 56100-177500) की श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हों और जिसने कर्तव्यों और दायित्वों के सुसंगत क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा यथाविहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त निकाय अथवा संविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्षों की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि; और (ii) न्यूनतम पचास शैया वाले सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पताल में नैदानिक पद पर पांच वर्षो का प्रायोगिक अनुभव। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है , साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन व सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/02/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 6th August, 2025

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Deputy Chief Physiotherapist in the Safdarjung Hospital, New Delhi in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Deputy Chief Physiotherapist (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or Non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Deputy Chief Physiotherapist.	03* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made**
(9)	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion :** Senior Physiotherapist of Safdarjung Hospital in level -10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years of regular service in the grade and having successfully completed mandatory training of two weeks in the relevant filed

		of duties and responsibilities as prescribed by the Government of India. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract) :** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in level – 10 in pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor degree in Physiotherapy from a recognised University or recognised institute; and (ii) with five years' practical experience of holding clinical post in at least fifty bedded Government or recognised hospital. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for consideration promotion) consisting of :- 1. Additional Director General of Health Services, Directorate General of Health Services -Chairperson; 2. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Member; 3. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/02/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.